जिला प्रशासन में जिलाधीश की भूमिका

विनय कुमार सिंह

Email : bksingh5kuj@gmail.com

सारांश

जिलाधीश जिला प्रशासन का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय प्रशासन में भी जिलाधीश का पद विशेष महत्व का होता है। इस पद को ऐतिहासिक महत्ता तो प्राप्त है ही, लोगों के नजरों मे भी इस पद की मर्यादा बहुत अधिक है। इसे असीम शक्तियाँ दी गई है। फलतः वह अपने जिले में प्रशासन का मूर्त रूप हो जाता है। भूतपूर्व I.C.S. Sir Edward Blunt ने जिलाधिकारी के बारे में कहा है– जिलाधिकारी के इतने प्रशासकीय कर्त्तव्य है जिनकी पूरी सूची देना असंभव है, क्योंकि उनके कर्तव्य, स्थान और समय के साथ बदलते रहते हैं। अगर जन कल्याण की कोई योजना बनती है तो पहले जिलाधीशों की राय ली जाती है और बाद में उन्हीं से लागू करवाती है। संकटकाल में उसके उत्तरदायित्व का भार असह्य हो जाता है। चाहे जो भी कठिनाई हो जिलाधीश को उसका सामना करना ही पड़ता है। एक अन्य विद्वान के अनुसार, उसे इस बात के लिए सावधान रहना चाहिए कि राज्य का कोई नुकसान न हो। अगर संभव हो तो जिलाधीश उन कठिनाईयों को रोके, अगर रोकना संभव न हो तो वह उनका निवारण करें अथवा बलपूर्वक उसे दबा दें अथवा अन्य विधियों से उसे शांत कर दें। वह अपने कार्यो का विभाजन कर सकता है, उत्तरदायित्व का नहीं, क्योंकि प्रशासन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उसी का है।

परिचय

भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में जिला प्रशासन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत जैसे विशाल देश में जहाँ इकाईयाँ यूरोप के अनेक सार्वभौम राष्ट्रों से भी बड़ी है, जिला प्रशासन जैसी इकाई प्रशासन रूपी शरीर में रीढ़ के रूप में कार्य करती है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से गौर करने पर हमें ज्ञात होता है कि जिला प्रशासन का उल्लेख मनुस्मृति जैसे ग्रंथों से लेकर मौर्य साम्राज्य, मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था विशेषकर मुगलकाल तथा अंग्रेजों के शासनकाल वाले भारत के प्रशासनिक व्यवस्था में स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है। यद्यपि मौर्य एवं गुप्त काल में प्रशासन को प्रादेशिक इकाई में विभाजित किया गया था परन्तु जिला का जन्म एवं विकास एक प्रादेशिक इकाई के रूप में जिसका लक्ष्य लगान वसूली एवं प्रशासन था, 1772 में ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासन काल के दौरान हुआ।

जिला शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द डिसट्रिक्ट से हुई है, जिसका अर्थ होता है 'न्यायिक प्रशासन के उद्येश्य से बनाया गया क्षेत्र'। इस संबंध में डा0 के0 एन0 वी0 शास्त्री ने कहा है कि ''अंग्रेजों ने यह सिद्वान्त, फांसीसी प्रीफेक्ट व्यवस्था से ग्रहण किया तथा इसे ब्रिटिश भारतीय जिला प्रशासन पर लागू किया। इस पर प्रकाश डालते हुए श्री एस0 एस0 खेरा ने लिखा है कि जिला प्रशासन निर्धारित प्रदेश में सार्वजनिक कार्यो का प्रबंध है।

राजनीति विज्ञान विभाग, के0 एस0 कॉलेज, सरायकेला, झारखण्ड

जिला प्रशासन में जिला के कानून व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य विभाग भी आते हैं मसलन समाज कल्याण, शिक्षा, लोक स्वास्थ्य, कृषि, नागरिक आपूर्ति, उद्योग धंधे, सहकारिता, सिंचाई इत्यादि। उपरोक्त सभी विभाग जिला प्रशासन के भाग है। वस्तुतः प्रत्येक राज्य स्तरीय विभाग की शाखाएँ जिला प्रशासन में होती है तथा ये सारे विभाग जिला प्रशासन के भाग हैं । इस प्रकार जिला प्रशासन जिला में सरकार के सारे कार्यो को करता है अर्थात् जिला प्रशासन जिले में समस्त कार्यो का सामूहिक स्वरूप एवं तथा सार्वजनिक कार्यो के प्रबंध का संगठन है। जिसका निर्वहन जिलाधिकारी के माध्यम से होता है।

जिला प्रशासन के लक्ष्यों में समय-समय पर विभिन्न परिवर्त्तन आये हैं। जहाँ ब्रिटिश शासन के दौरान जिला प्रशासन का लक्ष्य अंग्रेजी साम्राज्य की रक्षा, उसकी हित पूर्ति व हित वृद्धि करना था, वही वर्तमान में जिला प्रशासन का लक्ष्य सामाजिक न्याय तथा आर्थिक विकास है। दूसरे शब्दों में, आज विकास प्रशासन जिला प्रशासन का एक महत्वपूर्ण पहलू बन गया है।

वर्त्तमान समय में जिलाधिकारी के महत्व, कार्य एवं स्थिति में व्यापक परिवर्तन आया है। राज्य ने सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में व्यापक सेवाएँ प्रदान करना आरंभ कर दिया है। ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी लोक कल्याणकारी एवं समाजवादी राज्य का सेवक बन गया है।

शोध प्रविधि (Research Method)

प्रस्तुत शोध आलेख विश्लेषणात्मक एवं वर्णनात्मक प्रकृति का है। इसके लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया गया है, जिसमें मुख्यतः विभिन्न प्रकाशित ग्रन्थ तथा पत्र-पत्रिकाओं में छपे निबंध एवं लेख आदि को अध्ययन का आधार बनाया गया है।

विश्लेषण (Analysis)

जिलाधीश जिला प्रशासनिक अधिकारियों में सर्वाधिक केन्द्रीय व नियंत्रणकारी अधिकारी अतीत में भी था तथा वर्त्तमान में भी है। मुगलकाल में जिलाधीश स्तर का अधिकारी प्रशासन की सफलता का आधार स्तम्भ था। ब्रिटिश काल में भी इसका महत्व आरंभ से ही देखा जा सकता है। जिलाधीश के संदर्भ में साइमन कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया था कि ''प्रत्येक जिले के शीर्ष पर एक अधिकारी होता है जिसे कुछ प्रांतो में कलेक्टर व कुछ में डिप्टी कमिश्नर के नाम से संबोधित किया जाता है। जिले के अधिकांश निवासियों की नजर में तो वही सरकार होती है।'' आज वह जिले का प्रतिनिधित्व इस प्रकार करता है, जैसे सम्पूर्ण सरकार उसी में समाहित हो।

जिलाधीश भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है जिसकी नियुक्ति या तो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा की जाती है अथवा वह राज्य प्रशासनिक सेवा का पदोन्नति प्राप्त अधिकारी होता है ।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को प्रायः 6 से 10 वर्ष सेवा कर चुकने के पश्चात् जिलाधीश बनाया जाता है। उसकी सेवा शर्ते जैसे वरिष्ठता का निर्धारण, आचरण सम्बन्धी नियम, अनुशासन, वेतन आदि केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं जिसे स्वीकार करना राज्य सरकार के लिए अनिवार्य होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के द्वारा उसे पद की सुरक्षा प्रदान की गई है जिसके अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई भी अधिकारी केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना न तो निलम्बित किया जा सकता है और न ही पदानवत किया जा सकता है। उसकी सेवा अखिल भारतीय स्तर का होता है। जहाँ तक जिला प्रशासन में जिलाधीश के कार्य अधिकार एवं

भूमिका का प्रश्न है, जिलाधिकारी जिला में प्रशासन का प्रधान होता है। जिलाधिकारी समस्त जिला प्रशासन का King-Pin होता है। जिला में वह सरकार के अभिकर्त्ता तथा समस्त प्रशासनिक कार्यो का जेनरल मैनेजर एवं सरकार के आँख, कान के रूप में अपने कार्यो को संपादन करता है। वह जिले में समस्त प्रशासनिक व्यवस्था का प्रधान होता है। जिलाधिकारी को जिला प्रशासन का निर्देशक कहा जाता है । लगान वसूली और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना इसके प्राथमिक दायित्व है लेकिन पंचवर्षीय योजनाएँ लागू हो जाने के बाद इसके विकास के क्षेत्र में दिए गए कार्यो ने इसके पारम्परिक कार्यो को पीछे छोड़ दिया है।

वर्त्तमान समय में यद्यपि जिलाधीश पद की महिमा तथा उसकी शक्तियों में ह्रास हुआ है, लेकिन अभी भी उसकी भूमिका जिला प्रशासन में केन्द्रीय बनी हुई है। उसके कार्य एवं अधिकार अथवा भूमिका का अध्ययन हम निम्नलिखित उपशीर्षकों के अन्तर्गत कर सकते हैं :-

1. भू-राजस्व अधिकारी के रूप में:

जिलाधीश के पद का सृजन मुख्य रूप से राजस्व पदाधिकारी के रूप में ही हुआ और अभी तक वे जिला राजस्व प्रशासन के रूप में बने हुए हैं । यद्यपि इस कार्य में जिलाधिकारी की सहायता के लिए एक Additional Collector होते हैं, जो I.A.S. वर्ग के ही केन्द्रीय पदाधिकारी होते हैं। फिर भी राजस्व कार्य के लिए जिलाधीश ही उत्तरदायी होता है। प्रारंभ वह केवल भूमि लगान ही वसूला करता था पर आज वह सरकारी समितियों, एक्साईज की बकाया राशि, Mining Cess तथा जलकर इत्यादि के साथ यदि सरकार की राशि की वसूली नहीं हो पाती है तो उसकी वसूली सर्टिफिकेट केस करके करती है। इसके अलावे भूमि अधिग्रहण एवं Land Reforms से संबंधित सभी कार्यो के लिए जिलाधीश ही उत्तरदायी होता है।

2. जिला प्रशासन के प्रमुख के रूप में:

जिलाधीश जिले का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होता है। इस रूप में सम्पूर्ण जिले में शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिलाधीश ही उत्तरदायी होता है। अपने दायित्व के निर्वहन हेतु उसे पुलिस प्रशासन पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया है। कानून एवं व्यवस्था संबधी कार्य जिलाधीश पुलिस अधीक्षक के साथ मिलकर करता है।

इसके साथ ही जिलाधीश ट्रेजरी के प्रधान पदाधिकारी के रूप में कार्य करता है। वह जिले में प्रमुख प्रोटोकोल पदाधिकारी के रूप में कार्य करता है। वह यह देखता है कि जिले में लोगों की शिकायतों का निवारण सही ढंग से हो। एक जिलाधिकारी के रूप में वह डिवीजन एवं ब्लॉक का निरीक्षण भी करता है। वह जिला में राशनिंग व्यवस्था का प्रधान होने के नाते यह देखता है कि ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो तथा लोगों को समान रूप से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जाए।

इसके अलावे जिलाधीश के रूप में जिलाधिकारी समन्वय समिति की बैठके बुलाता है तथा उसकी अध्यक्षता करता है। Arm Licence, Explosive Licence सिनेमा का लाइसेंस आदि प्रदान करने का कार्य भी जिलाधीश ही करता है। इसके अलावे वह पासपोर्ट, वीसा आदि की जाँच तथा विभिन्न तरह के प्रमाण-पत्र भी जारी करता है।

जिला स्तर पर विभिन्न विभागों के समस्त अधिकारियों के कार्यो में समन्वय स्थापित करना तथा उसकी अध्यक्षता करना जिलाधीश का ही कार्य है। इसके अलावे, अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण, अवकाश एवं निलंबन का अधिकार भी उसे प्राप्त है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिला प्रशासन के रूप में उसे अनेक उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं।

3. जिला मजिस्ट्रेट के रूप में :

चूँकि जिला के सम्पूर्ण कानून व्यवस्था का दायित्व जिलाधीश का ही होता है। अत: इस हेतु जिलाधिकारी को कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी प्रदान की गई है और इस रूप में वह दण्डनायक का भी भूमिका अदा करता है। उसे प्रथम श्रेणी के दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्राप्त है। यद्यपि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका शक्तियों के पृथककरण के परिणामस्वरूप जिलाधिकारी की न्यायिक शक्तियों में कटौती हुई है फिर भी न्यायधिकारी के रूप में कुछ न्यायिक शक्तियाँ अभी भी प्रदत्त है जिनका निष्पादन वह करता है। अभी अभी भी S.D.O. एवं अपने अधीन पदाधिकारियों द्वारा दिये गये राजस्व संबंधी निर्णय के विरूद्ध अपील की सुनवाई करता है। एक जिला मजिस्ट्रेट के रूप में वह जिले में पदस्थापित अन्य मजिस्ट्रेट की नियुक्ति एवं प्रतिनियुक्ति करता है, जेलों की जाँच करता है तथा पेरोल पर कैदियों को वहीं छोड़ने का आदेश देता है। जिले के क्रिमिनल प्रशासक के रूप में पुलिस पदाधिकारियों के अलावा दण्डाधिकारी भी जिलाधीश के अधीन रहता है। समय-समय पर वह जिला के पुलिस थाना की जाँच करता है, लाईसेन्स प्रदान करता है तथा उसे अवैध भी घोषित कर सकता है।

4. जिला विकास अधिकारी के रूप में:

जिलाधिकारी जिले के विकास पदाधिकारी के रूप में अनेक महत्वपूर्ण कार्यो को संपादित करता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व जिलाधीश की विकासात्मक भूमिका उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। किन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् राज्य के परिवर्तित रूप और विकासात्मक योजना नीतियों की शुरूआत के फलस्वरूप जिलाधिकारी की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। वह जिले में विकास प्रक्रिया का धुरी होता है। जिले के विकास सम्बन्धी सभी योजनायें उसी के माध्यम से लोगों तक पहुँचती है एवं मूर्त्त रूप लेती है। जिले में विकास कार्यो का समन्वय करना, विकास कार्य के मार्ग में आने वाली बाधाओं का निराकरण करना, विकास कार्यो के संबंध में सामयिक एवं तात्कालिक प्रतिवेदन उच्च अधिकारियों को भेजना आदि उसके प्रमुख उत्तरदायित्व हैं। वह जिले में विकास कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण करता है तथा सरकार की ओर से मुख्य समन्वयकर्ता के रूप में कार्य करता है। जिलाधिकारी DRDA (जिला ग्रामीण विकास एजेंसी) का पदेन अध्यक्ष होता है तथा पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत प्रजातंत्रात्मक विकेन्द्रीकरण के सफल संचालन के लिए उत्तरदायी होता है। इस प्रकार जिलाधिकारी द्वारा सम्पन्न किये जाने वाले विकास कार्यो की सूची पर्याप्त लंबी और व्यापक है। वस्तुत: वह आर्थिक विकास के पेट्रोल एवं प्लानिंग का लुब्रिकेटिंग तेल के रूप में कार्य करता है।

5. राज्य सरकार के प्रतिनिधिा के रूप में :

जिला स्तर पर जिलाधिकारी राज्य सरकार का प्रतिनिधि होता है। राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जिलाधिकारी सरकार के हितों की देखभाल करता है। वह जिले में आयोजित समारोहों में राज्य सरकार का अधिकारिक प्रतिनिधि होता है। सरकार के प्रतिनिधि के रूप में वह अपने क्षेत्र का दौरा करता है तथा नागरिकों और प्रशासन के बीच कड़ी के रूप में काम करता है।

6. निर्वाचन अधिकारी के रूप में :

हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली अपनाया गया है। जिले में संसद, विधानसभा एवं स्थानीय निकायों के चुनावों को सुचारू रूप से संचालित करना जिलाधिकारी का एक मुख्य उत्तरदायित्व होता है। संसद के लिए प्रतिनिधियों के चयन एवं राज्य विधान मंडल के चुनाव के दौरान जिलाधिकारी ही निर्वाची

पदाधिकारी के रूप में कार्य करता है एवं जिला स्तर पर चुनाव के कार्यो में समन्वय स्थापित करता है।

7. जिला जनगणना पदाधिकारी के रूप में :

जिलाधिकारी जिला जनगणना अधिकारी के रूप में भी अपने कार्यो को संपादित करता है। जिला जनगणना अधिकारी के रूप में जिलाधिकारी दस वर्ष में एक बार जिले में जनगणना कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। वह जनगणना संबंधी कार्यो का समन्वय करता है एवं जनगणना अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है।

8. प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में :

जिलाधिकारी जिले में मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में अपने कार्यो को संपादित करता है। जब भी कोई मंत्री या दूसरे विशिष्ट व्यक्ति जिले का दौरा करते हैं तो उनके स्वागत सरकार एवं प्रबंध का दायित्व जिलाधिकारी का ही होता है।

9. पंचायती राज व्यवस्था के अभिकर्त्ता के रूप में

जिलाधिकारी पंचायती राज व्यवस्था के अभिकर्त्ता के रूप में भी अपने कार्यो को संपादित करता है। वह जिले में ग्रामीण तथा शहरी पंचायती व्यवस्था एवं संस्थाओं के सफल संचालन के लिए उत्तरदायी होता है। जिलाधिकारी ही जिले में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नीतियों को निर्देशित एवं क्रियान्वित करता है तथा उसके मार्ग में उपस्थित समस्याओं का समाधान करता है।

10. अन्य कार्य एवं शक्तियाँ :

उपर्युक्त कार्य एवं भूमिकाओं के अलावे जिलाधिकारी को अन्य कई महत्वपूर्ण कार्य करने पड़ते हैं तथा उन्हें कई अन्य तरह की शक्तियाँ भी प्राप्त है। जिले में आपातकालीन संकट के समय जिलाधिकारी को संकटकालीन प्रशासक के रूप में अपनी भूमिका का संपादन करना पड़ता है। आपात स्थिति में जिलाधीश की भूमिका मसीहा की हो जाती है। प्राकृतिक आपदा यथा- बाढ़, महामारी, दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दुर्घटनायें, भूकम्प आदि में घायलों के उपचार की, मृतकों को परिजनों को सौंपने की, विस्थापितों के खाने, रहने, मुआवजे की राशि देने, उनके पुर्नस्थापन की व्यवस्था आदि जिलाधीश के दायित्व के अन्तर्गत आती है।

मानव निर्मित आपदा में जिलाधीश की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हिंसा, दंगा, हत्या, लूटमार आदि के वातावरण में शांति स्थापना तथा मानवीय मूल्यों के पुर्नस्थापन का कार्य जिलाधीश के भूमिका को बहुत ही महत्वपूर्ण बना देता है। इसके अलावे आज के तकनीकी विकास एवं वैश्वीकरण के युग में तो जिलाधीश की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण एवं चुनौती से परिपूर्ण हो गई है।

मूल्यांकन :

जिलाधिकारी के उपरोक्त कार्य, अधिकार एवं भूमिका के आधार पर हम यह कह सकते हें कि वर्त्तमान में जिलाधिकारी के कार्यो की प्राथमिकताएँ पूर्णरूपेण परिवर्तित हो गई। पूर्व में कानून एवं व्यवस्था की स्थापना करना तथा राजस्व इक्ट्ठा करना उसका प्रमुख कार्य था। परन्तु अब नागरिकों के विकास तथा जनकल्याण से संबंधित कार्य उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। जिला प्रशासन में जिलाधिकारी का नियंत्रण, पर्यवेक्षण व समन्वय का कार्य अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण के कारण परिवर्तित परिस्थितियों ने जिलाधिकारी की सत्ता, कर्तव्यों एवं दायित्वों को नई दिशा प्रदान की है।

स्पष्ट है कि जिलाधिकारी जिला प्रशासन के संदर्भ में केन्द्रीय व्यक्तित्व रखता है। वास्तव में अभी तक यही वह सत्ता है, जो सरकारी कार्यो में बड़े स्तर

पर समन्वय करती है। वर्तमान में उसके कार्यक्षेत्र लक्ष्यों तथा प्रशासकीय दृष्टिकोण के परिवर्तनों ने जिलाधिकारी की महत्ता को किसी भी प्रकार से कम नहीं किया है।

निष्कर्ष:

इस प्रकार उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि जिला प्रशासन के अन्तर्गत जिलाधिकारी के कार्यो की सूची अतिव्यापक, लम्बी और काफी महत्वपूर्ण है। जिला स्तर पर कानून व्यवस्था, विकास, आपदा निवारण, पंचायती राज व्यवस्था का सफल क्रियान्वयन जिलाधिकारी के सक्रिय भूमिका पर निर्भर करता है। वह जिला प्रशासन का आधार स्तम्भ है तथा प्रशासन की विभिन्न शाखायें उससे आवश्यक निर्देश एवं नेतृत्व प्राप्त करता है। वह जिले के बहुमुखी विकास का नेतृत्व करने वाला मुख्य अधिकारी है। वह जिला प्रशासन की धुरी पहले भी था और आज भी है। तेजी से विकास कार्यो के लागू होने तथा प्रधानमंत्री द्वारा चलाये गये विभिन्न आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों के लागू होने से उसकी भूमिका और दायित्व और भी बढ़ गए हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. बी0बी0 मिश्रा- गवर्नमेन्ट एण्ड ब्यूरोक्रेसी इन इंडिया, विशाल पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1986
2. पी0 शरण - डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, एजेन्ट फॉर चेन्ज, राजकमल प्रकाशन पटना, 1999
3. डॉ0 के0 के0 शर्मा -भारत में पंचायती राज, कॉलेज बुक डिपो, नई दिल्ली।
4. राकेश दुआ - डेवलपमेन्ट रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एशिया पब्लिकेशन्स हाउस, नई दिल्ली, 1995
5. हरिश्चन्द शर्मा- राज्य प्रशासन, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर।
6. डी0 सुन्दरम- डायनेमिक्स ऑफ डिस्ट्रेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, राज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली,1996
7. एम0 लक्ष्मी कान्त - लोक प्रशासन, टाटा मैक्ग्रा हिल एजुकेशन प्रा0 लि0, नई दिल्ली।
8. एस0 एस0 खेरा - डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, एशिया पब्लिकेशन्स हाऊस, नई दिल्ली।